अनवान पुखराज पुत्र दिनेश
मुकदमा नम्बर 01/2025
निर्णय तारीख:— 04.04.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 01/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025/16
अनवान

1. पुखराज पुत्र बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी लियादरा तहसील सांचौर।

प्रार्थीगण..................

1. दिनेश पुत्र बाबूलाल।
2. शान्ती पत्नी बाबूलाल जातियान विश्नोई निवासी लियादरा तहसील सांचौर ।
3. सरकार तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना—पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 09.01.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचंद उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 04.04.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी का नाम पुखराज पुत्र बाबूलाल जाति विश्नोई निवासी लियादरा तहसील सांचौर है मुझ प्रार्थी के राशन कार्ड परिचय पत्र मतदाता सुची पेनकार्ड आधार कार्ड व स्कूल टी.सी. वगैरा व अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में मेरा सही नाम पुखराज पुत्र बाबुलाल नाम दर्ज है। मौजा अरणााय में स्थित खेत खाता सख्यां 287 के खसरा नम्बर 1441,1443/2225, 2622/1442 जुमले रकबा 7.76 हेक्टर मुझ प्रार्थी व अप्रार्थीगण सख्यां 1 व 2 की सयुक्त खातेदारी की भूमी आई हुई है। जिसमें मेरा 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज सुदा आया हुआ है जमाबन्दी व राजस्व रेकर्ड में भूलवंश मेरा नाम पपू उर्फ पुखराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

पुत्र बाबूलाल दर्ज कर दीया गया है। पपू उर्फ मेरे नाम पुखराज के साथ भूलवंश गलत दर्ज कर दीया गया है जबकि मेरे नाम के आगे गलत दर्ज पपु उर्फ हटाकर मेरा नाम पुखराज पुत्र बाबुलाल राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना विधि सम्मत है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन की राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी पुखराज के नाम के आगे गलत इन्द्राज पपू उर्फ हटाकर मेरा नाम पुखराज पुत्र बाबुलाल का सही इन्द्राज दुरस्ती करके राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण हित प्रभावित ना होने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को तर्क किया गया अप्रार्थी सं. 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा अरणााय में स्थित खेत खाता सख्यां 287 के खसरा नम्बर 1441,1443/2225, 2622/1442 जुमले रकबा 7.76 हेक्टर में प्रार्थी का नाम भूलवंश पपु उर्फ पुखराज लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम हमेशा से ही पुखराज ही है प्रार्थी के नाम से बने अन्य किसी भी दस्तावेज में पपु उर्फ पुखराज अंकित नही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम पपु उर्फ पुखराज पुत्र बाबुलाल से दुरूस्त कर पुखराज पुत्र बाबुलाल लिखे जाने का आदेश फरमावें।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक एवं पेन कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम पपु उर्फ पुखराज की बजाय पुखराज पुत्र बाबुलाल बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान पुखराज पुत्र दिनेश
मुकदमा नम्बर 01/2025
निर्णय तारीखः– 04.04.2025

–ःआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि अरणााय में स्थित खेत खाता सख्यां 287 के खसरा नम्बर 1441,1443/2225, 2622/1442 जुमले रकबा 7.76 हेक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम पपु उर्फ पुखराज पुत्र बाबूलाल की बजाय पुखराज पुत्र बाबूलाल के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **04.04.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner